न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

सरकार जरिये　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　राजस्व प्रकरण संख्या 04/2022

री हल्का ...मायला.......　　　　　　बनाम　　　　श्री रमजू पुत्र समदा, मेरात

....

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक : 18-01-2022

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी अनुपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का......मायला......द्वारा संवत्.........2078.........में ग्राम.........मायला......... की सरकारी भूमि खसरा नम्बर......676......कुल रकबा......0.3074......किस्म......गै.मु. रास्ता......में से रकबा......0.0242 है......भूमि पर अप्रार्थी श्री......रमजू......पुत्र......समदा......जाति......मेरात......निवासी......नांगली आफाबाई......द्वारा नाजायज......जो काश्त कर......कर लिये जाने की भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक......18-01-2022......को मुकाम......मसूदा......पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी नोटिस के जवाब में नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहा । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा । भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है एवं अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्रार्थी......रमजू......पुत्र......समदा......जाति......मेरात......निवासी......नांगली आफाबाई......को भूमि ग्राम......मायला......के खसरा नम्बर......676......रकबा......0.3074 है0......किस्म......गै0 मु0 रास्ता......में से रकबा......0.0242 है0......भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे/काश्त के लिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को उ[illegible] से बेदखल किया जावें एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान......[illegible]......501/-......रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावें व मौके पर खड़ी फसल [illegible] सरकार कर नीलाम की जावें । आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी [illegible] को व डिमाण्ड फैसला मुताबिक होकर [illegible] से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Singh Lakhawat
Date: 2023.01.04 12.22.11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक......18-01-2022......को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया ।

18/01/22

तहसीलदार मसूदा

मसूदा